

डिक्री व मुकदमा इब्तदाई

(आर्डर 20 नियम 6-7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज0)
बईजलास श्री पुनीत कुमार गेलड़ा (आर0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी

1- श्री लक्ष्मीनारायण मन्दिर(डोली मन्दिर) शाहपुरा जरिये पुजारी नारायणदत्त पाणेशी,
पुत्र श्री रामदयालदत्त शर्मा निवासी शाहपुरा - वादी

बनाम

- 1- जिला कलेक्टर, कलेक्टर कार्यालय भीलवाड़ा(राज0)
 - 2- तहसीलदार शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
 - 3- मोहन पुत्र प्रताप धाकड़ निवासी कलिंजरी गेट, धाकड़ मोहल्ला शाहपुरा
 - 4- छोटू पुत्र नारायण धाकड़ निवासी कलिंजरी गेट, धाकड़ मोहल्ला शाहपुरा
 - 5- गंगाराम पुत्र नारायण धाकड़ निवासी कलिंजरी गेट, धाकड़ मोहल्ला शाहपुरा
 - 6- देबी पुत्र रामरतन धाकड़ निवासी कलिंजरी गेट, धाकड़ मोहल्ला शाहपुरा
 - 7- रामेश्वर पुत्र जगरूप धाकड़ निवासी कलिंजरी गेट, धाकड़ मोहल्ला शाहपुरा
 - 8- बरदू पुत्र नारायण धाकड़ निवासी कलिंजरी गेट, धाकड़ मोहल्ला शाहपुरा
- प्रतिवादीगण

वाद पत्र : अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
(बदेखली एवं दिलाये जाने कब्जा काश्त)

मुकदमा नम्बर 98 सन् 2016 राजस्व वाद

यह मुकदमा अज वारते इनफिसल कतई रूबरू अदालत व हिजरी वकील वादी मिनजानिब
मुदई वX मिनजानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता है।
डिक्री दी जाती है कि :-

वाद वादी अदम हजारी अदम पैरवी खारिज किया जाता है।

निज मुबलिग, बाबत खर्चा, इस मुकदमें में सूद शहर फौसदी सालाना आज तारीख से
तारीख व सूलयाबी तक अदा करे।

बाबत मेरे दस्तखत व मोहर से आज तारीख 12 माह 04 सन् 2023 को जारी की गई।



फि

(पुनीत कुमार गेलड़ा)

आर0ए0एस0

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर, शाहपुरा (भीलवाड़ा)